न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 44/2022

आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 201—202, 2 द्वितीय तल साउथेंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर —302020

...... प्रार्थी

बनाम

1. श्री विमला देवी पत्नि श्री रामस्वरूप कुम्हार, पता—ग्राम छोकरवाडा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान, दूसरा पता— पटटा संख्या 76, बुक सं. 2, मिसल सं.06 ग्राम ग्राम छोकरवाडा ग्राम पंचायत छोकरवाडा पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा राजस्थान।
(ऋणी व बंधककर्ता)
2. श्री राजाराम प्रजापत पुत्र श्री रामस्वरूप कुम्हार, पता—ग्राम छोकरवाडा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान
(सह ऋणी)
3. श्री रामस्वरूप प्रजापत पुत्र श्री हरिमोहन प्रजापत, पता—ग्राम छोकरवाडा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान
(सह ऋणी)
4. श्री रामावतार कुम्हार पुत्र श्री हरिमोहन कुम्हार, पता—ग्राम छोकरवाडा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान
(जमानती)

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री दिनेश जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांक: 22.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 4,00,000/—(रूपये चार लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:46 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ... 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री रामस्वरूप कुम्हार की संपत्ति जो कि ग्राम पंचायत छोकरवाडा ने पटटा संख्या 76, बुक सं0 2, मिसल सं0 06, दायर दिनांक 05.03.2003, संकल्प संख्या 03, दिनांक 20.8.2003 श्री रामरूवरूप पुत्र हरिमोहन कुम्हार के पक्ष में जारी किया गया है। श्री रामस्वरूप कुम्हार ने उक्त संपत्ति श्रीमती विमला देवी को रजिस्टर्ड दान पत्र के द्वारा दान कर दी गई है जो कि ग्राम छोकरवाडा पंचायत समिति, सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा राज0 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका बिल्टअप एरिया 355.55 वर्गगज एवं सुपर बिल्टअप एरिया 355.55 वर्गगज है जो कि थाना सिकन्दरा के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:46 IST
Reason: SelfAttested